

3

उत्तर प्रदेश सरकार  
अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग  
संख्या: 1575/अल्पसंख्यक-95-1713/95  
लखनऊ : दिनांक 18 सितम्बर, 1995

कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कर्न का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय अल्प संख्यक कल्याण विभाग जिसका गठन सचिवालय प्रशासन अधि. अनुभाग-1 को विज्ञापित संख्या 4056/20-ई-1-95-539121/95, दिनांक 12 अगस्त, 1995 द्वारा किया गया है के अन्तर्गत विभागाध्यक्ष स्तर/मंडल स्तर/जिला स्तर के कार्यालयों के अन्तर्गत निम्नलिखित स्टाफ इन पदों के उपयोग में लाने अथवा नियुक्ति की तिथि से दिनांक 29 फरवरी, 1996 तक के लिए निम्नलिखित अस्थाई पदों के सृजन को सर्व्व स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान करते हैं कि उक्त पद निर्दिष्ट तिथि के पूर्व भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किये जा सकते हैं:-

क्रमांक	पद नाम	पदों की संख्या	वेतनमान
<u>विभागाध्यक्ष स्तर</u>			
1	निदेशक। आई. ए. एस. गी. सी. एस. विभाग	1	5100-150-5700
2	संपुक्त निदेशक	1	3700-125-4700-150-5000
3	उप निदेशक	2	3000-100-3300-125-4500
4	लेखा अधिकारी। वित्त एवं लेखा तंत्र	1	2200-75-2800-100-4000
5	आशु लिपिक	2	1400-40-1600-50-2300-20 रो 60-2600
6	चपरासी	6	750-12-870-20 रो 14940
<u>कार्यालय</u>			
1	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड-11	1	1400-40-1600-50-2300-20 रो 60-2600
2	घरिष्ठ लिपिक	2	1200-30-1560-20 रो 40-2040

3	कनिष्ठ लिपिक	4	950-20-1150-दो रो०-25-1500
4	चपरासी	1	750-12-870-दो रो०-14-940
5	डाइवर	2	950-20-1150-दो रो०-25-1500

कुल 23 पद

6 चौकीदार/स्वीपर संविदा के आधार पर

मंडल स्तर

1	मंडलीय अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी	7	3000-100-3500-125-4500
2	वरिष्ठ लिपिक	7	1200-30-1560-दो रो०-40-2040
3	कनिष्ठ लिपिक	7	950-20-1150-दो रो० 25-1500
4	चपरासी	7	750-12-870-दो रो०-14-940
5	चालक	7	950-20-1150-दो रो०-25-1500
6	स्वीपर/चौकीदार [संविदा के आधार पर]		

कुल 35 पद

जिला स्तर

1	जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी	25	2000-60-2300-दो रो०-75-3500
2	वरिष्ठ लिपिक	25	1200-30-1560-दो रो०-40-2040
3	कनिष्ठ लिपिक	25	950-20-1150-दो रो०-25-1500
4	डाइवर	25	तद्वै


कुल 125 पद

2- उपरोक्त पदों पर भर्ती की विधियत् अहंताओं के संबंध में जलग से आदेश जारी किये जायेंगे।

3- उपरोक्त पदों के पदधारी अधिकारी/कर्मचारी वहीं वेतन व मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ता प्राप्त करेंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अन्तर्गत देय होंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में प्राविधान नहीं है और यह व्यय अत्यन्त आवश्यक एवं अपरिहार्य प्रकृति का है, स्थगित नहीं किया जा सकता, अतः, राज्यपाल महोदय ने संलग्न विवरण के अनुसार ₹ 1,20,75,000 [एक करोड़ बीस लाख पचहत्तर हजार] को अग्रिम राज्य आकस्मिकता निधि से लेने की स्विकृति प्रदान कर दी है।

5- इस संबंध में होने वाला व्यय प्रथमतः आय-व्ययक में लेखा शीर्षक \*8000- राज्य आकस्मिकता निधि के नामे तथा अंततः राष्ट्रीय स्कीकरण विभाग की अनुदान संख्या 53 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2070-अन्य-प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेतर-800--अन्य व्यय के अधीन नई इकाई-12-अल्प संख्यक कल्याण-निदेशालय [₹ 13,22,000] 13 मंडलीय [₹ 25,46,000] 14 जिला स्तरीय [₹ 82,07,000] कार्यालय के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

  
[मु] हलीम खाँ  
सचिव।

वित्त विभाग

संख्या 2584 ई-11/सी०एम०/119/दस तद दिनांक

प्रतिलिपि एक अतिरिक्त प्रति के साथ महालेखकार उ०प्र० इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

[ मोहन चन्द्र तोहनीय  
उप सचिव, वित्त ]

संख्या 1575 [11/बावन-1-95-17] 4/95 तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित :-

1- वित्त [व्यय-नियंत्रण] अनुभाग-11



5-कम कबूतरी 28  
 6-जीप ₹ 20.00 लाख प्रति  
 7-टाइप राइटर  
 000,000  
 000,000  
 000,000

25		6,00,000
25	गा	4,80,000
25	मिनिबस	4,80,000
25		3,80,000
25	मिनिबस	50,00,000
25		2,25,000
कुल योग रु.		82,87,000

मुहम्मद हलीम छाता  
 सचिव ।